

GOVERNMENT BILLS

The Insurance (Amendment) Bill, 2021

THE MINISTER OF FINANCE (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Insurance Act, 1938.

The question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management Bill, 2019. Shri Narendra Singh Tomar to move a motion for consideration of the National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management Bill, 2019.

The National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management Bill, 2019

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री; पंचायती राज मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

"कि खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध की कतिपय संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित करने और खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता तथा प्रबंध में शिक्षण और अनुसंधान करने और ऐसी शाखाओं में विद्या की अभिवृद्धि तथा ज्ञान का प्रसार करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. L. Hanumanthaiah.

DR. L. HANUMANTHAIAH (Karnataka): Hon. Deputy Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management Bill, 2019. The stated objective of the Bill is to confer the status of national importance to two Institutes which are working in the country. One is at Kundli in Haryana and the other one is at Thanjavur in Tamil Nadu.

The above Institutes are presently administered by the Ministry of Food Processing Industries under the Societies Registration Act, 1860.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR) *in the Chair.*]

Sir, to provide additional autonomy and flexibility, the Bill aims to provide functional autonomy to these two Institutes to design and develop courses, undertake research and achieve enhanced status in their academic pursuits to emerge as pioneers at the global level. These new Institutes will be non-profit legal entities. That is number one. Secondly, implement reservation policy as per Central Educational Institutions Act, 2006. The Bill establishes Board of Governors and Senate for each Institute, a Central Council to oversee the performance of the Institutes and the Council to be headed by the Minister of Food Processing Industries. Sir, it will be financed annually by the Government of India. It will be passed by Parliament and the accounts will be audited by CAG. It is a good step which has been taken now. Sir, India is a major producer of agriculture and food items in the world. India is the third largest producer of agriculture products which include pulses, milk, tea and spices. First is China and the second is USA. The food production depends on agro-climatic conditions of any country. India needs developed, skilled, technical manpower for achieving the real targets. The Government of India's target is 3 per cent international food trade as against 1.5 per cent now. So, only 10 per cent of the food is processed in India now. Opportunities are great. Demand for processed food, in India and abroad, is increasing now and for the future times also.

Sir, the NIFTEM Bill, 2019 was introduced in Rajya Sabha on 13.01.2019 by the then Minister, Shrimati Harsimrat Kaur Badal and referred to the Standing Committee on 22.02.2019. The Standing Committee elaborately discussed with stakeholders and a lot of new things have been introduced in the Bill. The introduction of the Bill is to lower the wastage of food in the country which is of serious concern. According to the U.N. Food and Agriculture Organization study, about 40 per cent of the food is either wasted or lost in the country, which is of a very serious concern. Secondly, it is valued at about 14 billion dollars. The waste food in the country is about 14 billion dollars according to one of the estimates. So, India ranks 94 out of 107 countries. Every third child is malnourished in the country which is also of a serious concern. On the one side, we are wasting about 40 per cent food, on the other side, the deprived children are in a big number who are malnourished in the country, which is of very serious concern to us. There is a demand in this industry to create alternative

employment. The study says that there is a demand for one lakh as against ten thousand skilled people available in the country. One per cent growth in the food processing industry would generate five lakh direct employment and fifteen lakh indirect employment. This is the study again. So, there is a great demand for skilled professionals, for food collection, food processing, cold chain management, etc. So, to strengthen the domestic supply chain is the concern of the day which is in high level demand. Therefore, food processing industry has got a big challenge and a big scope also. The corporate data analysis says that food processing firms are profitable but the value addition component needs to increase significantly in the country. India has made vast progress over the time providing food security for its people -- though it is a big number; about 130 crores -- by bringing the Food Security Act, and we are growing the food products in large numbers. In the whole world, we are number one in many areas. Food processing industry is one area which has the potential to add value addition to farm products. About 11.2 per cent of total arable land in the world is ranked in our country as No.1 in production of milk, pulses and jute. We are at No.2 in fruits and vegetables. We are at No.3 in cereals as per the Government of India 2019 study. So, India is the Sixth largest food and grocery market in the world. As per available data of 2017-18, we have a large scope of food processing industry in the country. As per the 2017-18 study, food processing industry accounted for 7.9 per cent as against 9.5 per cent in agriculture, if agriculture value is added. Sir, so, a major employment provider is agriculture which is 11.4 per cent of the organizational manufacturing employment. The food processing in the world and India comparably is a shocking news also. There are countries, particularly, China, their food processing capacity is 30 per cent. In western countries, 60 to 80 per cent food processing is being done and particularly, in the U.S.A, 65 per cent of the fruits and vegetables are processed. The overall processing of agricultural produce in many countries is:- 23 per cent in China, 30 per cent in Thailand, 78 per cent in Brazil and 80 per cent in Malaysia, etc. But, in India, processing of fruits and vegetables is only 2.2 per cent. I think we have to take note of this. We are the biggest in processed milk and milk products. It is about 35 per cent in the country.

श्रीमती जया बच्चन : वे आपको देखकर बोल रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : ओ.के.।

DR. L. HANUMANTHAI AH: Sir, we are processing 21 per cent for meat and six per cent in poultry products. This is the status of Indian food processing system. Food processing in India is at a nascent stage. Less than 10 per cent of the total food in India is processed as per the Government study of 2016. We have to take it up very seriously. The food processing in India has a lot of scope and we have to take it up. Sir, less than 10 per cent is processed in India and traded. In India, we have to gear up by investing in necessary infrastructure which is very, very important. It requires steady flow of raw materials from the farmers and meeting specific quality standards at stable prices, and, so, ensuring steady flow of income to farmers can reduce wastage particularly in perishable items. The Institute should be encouraged to build bridges with industry, with farmers and farmer producer organizations and co-operatives. This is the most required thing to develop these institutes. Income generation potential of food processing should be a priority. Why I am telling you this so that the primary producers can retain the larger share of value at the farm gate and village level. The Standing Committee to which the Bill was referred has given very valuable suggestions after an elaborate discussion with the stakeholders. They have noted the Institute of Technology Act of 1961 recommends three Members of Parliament to be in the Governing Council which is not there. I also demand that the Parliament Members should be in this Governing Council. There are a lot of farmers who are working with farm products and agricultural area. They can contribute more in this system.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : हनुमंतय्या जी, आपका समय समाप्त हो गया है।

DR. L. HANUMANTHAI AH: I will conclude.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): One minute.

DR. L. HANUMANTHAI AH: Sir, I will finish in two minutes. It is because of this connecting farmers can contribute a lot, particularly, MPs. I demand the Government to include, at least, two to three MPs into the Governing Council of this. So, the NIFTEM of Thanjavur and Kundli are not providing fee waiver. This is one of the recommendations of the Standing Committee. As per the AICTE Act, fee waiver must be given so that you can encourage a lot of bright people into this. They can be trained and their employment opportunity will be a big opportunity for this. So, that is one of the demands of mine to get very good skilled persons. We need to encourage fee waiver into this. On the other hand, the Thanjavur Institute had recommended for

fee waiver long back. That institute has not implemented it. I again demand that the institute should waive the fee and encourage the rural students to come into the system. ...*(Interruptions)*... Sir, I will take only a few seconds. Reservation to SC/ST/OBCs should be implemented properly in these institutes, which has been recommended by the Standing Committee.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : डा. अशोक बाजपेयी, अब आप अपनी बात कहें।

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, आपने National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management Bill, 2019 पर हो रही चर्चा पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, यह एक छोटा सा विधेयक है। इस विधेयक के माध्यम से जो दो संस्थाएँ पहले से संचालित थीं, उन्हें राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देकर, राष्ट्रीय स्तर का महत्व देकर, विश्वस्तरीय बनाने का उद्देश्य है। इससे फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में दुनिया में हमारा देश अग्रणी स्थान अर्जित कर सकेगा। आज फूड प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने निरंतर प्रयास किया, लेकिन अभी भी हमारी सहभागिता दुनिया के तमाम विकसित देशों के मुकाबले कम है। हम कैसे ज्यादा अच्छी से अच्छी फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लोगों को तैयार कर सकें, लोगों को शिक्षा और ज्ञान दे सकें, इस कारण इन दोनों केन्द्रों को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन आएगा।

मान्यवर, चाहे हरियाणा का संस्थान हो या तंजावुर का संस्थान, दोनों संस्थान आज से नहीं, पहले से संचालित हैं। इन दोनों संस्थानों में पहले से ही फूड प्रोसेसिंग की शिक्षा दी जाती रही है। लेकिन भारत सरकार का उद्देश्य है कि इनकी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम कर सकें और यहां की शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर में, यहां के पाठ्यक्रमों को विकसित करने का, तथा यहां पर शोध और अनुसंधान का कार्य हो सके, इसलिए यह विधेयक लाया गया है। इसके अलावा विद्यार्थी यहां पर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी की उपाधियाँ अर्जित कर सकें, उन्हें विश्वस्तरीय ज्ञान फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जा सके, ऐसा प्रावधान भी इस विधेयक में है। इसलिए इस संशोधित विधेयक को लाने की सरकार को जरूरत महसूस हुई, जिससे हम फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में दुनिया में अपना एक सम्मानजनक स्थान बना सकें।

हमारे यहां चाहे मिल्क इंडस्ट्री हो, देखा जाए तो आज हम दूध के क्षेत्र में अग्रणी हैं। इसी तरह फल-फूल और सब्जियों के उत्पादन में भी हिन्दुस्तान बहुत आगे है। लेकिन उसके बाद प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हमारी वह सहभागिता नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे उत्पाद बेकार हो जाते हैं। उस दिशा में यह विधेयक एक मील का पत्थर साबित होगा। इन दोनों संस्थानों के विकसित होने से निश्चित रूप से फूड टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा। इसके अलावा इस क्षेत्र के माध्यम से कई लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। एक तरीके से इस विधेयक से बहुआयामी विकास होगा। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिल सकेगा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, फूड टेक्नोलॉजी और

प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दुनिया में आगे बढ़-चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभा सकेगा। इसलिए इस विधेयक को लाने की आवश्यकता पड़ी।

मान्यवर, इस विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसमें NIFTEM, IIFPT और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान आईएनआई यानी इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट बन जाएंगे। नतीजन् दोनों संस्थानों के नामकरण होंगे। इन्हें व्यक्तिगत रूप से National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management कहा जाएगा। इसके साथ ही नए संस्थान बिना लाभ के कानूनी इकाई होंगे। इनके पास शक्तियां होंगी और वे शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशासनिक कार्यों से सम्बन्धित कार्य निष्पादित कर सकेंगे। इनकी दो बॉडीज़ होंगी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होगा, प्रशासनिक अधिकार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास होंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 16 सदस्य होंगे। इसी तरह से एक सीनेट होगी। सीनेट में शिक्षण सम्बन्धी कार्य होगा, जहां पर शिक्षा के कौन-कौन से सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जा सकें, कौन-कौन सी उपाधियां इसमें दी जा सकें, यह देख जाएगा। इसके अलावा शिक्षा के स्तर को कैसे विश्वस्तरीय बनाया जा सके। इस तरीके से ये दो प्रशासनिक बॉडीज़ होंगी। एक प्रशासन सम्बन्धी होगी, दूसरा शैक्षणिक कार्यों के निष्पादन का दायित्व सीनेट के पास होगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करेगा। सीनेट शैक्षणिक कार्यों का, परीक्षा के मानकों का निर्धारण करेगी, रख-रखाव का शैक्षणिक निकाय होगी। इसकी अध्यक्षता एक अध्यक्ष और सात सदस्य मिलकर करेंगे। परिषद् सभी संस्थानों की गतिविधियों का समन्वय करेगी और यह संस्थानों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए अनुभवों, आदर्शों और चिंताओं को साझा करके सुविधा प्रदान करेगी।

मान्यवर, इसके साथ ही केन्द्र सरकार संसद द्वारा किए गए उचित विनियोग के बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संस्थानों को ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी। प्रत्येक संस्थान के खातों का भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा समय-समय पर ऑडिट भी होगा और वह उसके ऊपर जवाबदेह होगा। CAG द्वारा प्रमाणित ऑडिट रिपोर्ट के साथ ही प्रमाणित खातों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। मतलब इसमें बहुत democratic ढंग से यह सारी functioning होगी। इन संस्थानों के बनने के बहुत लाभ होंगे। यह कानून संस्थानों को कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने, पाठ्यक्रम तैयार करने, अनुसंधान गतिविधियों को शुरू करने और उनकी शैक्षणिक गतिविधियों को उन्नत स्थिति का लाभ उठाने के लिए अवसर प्रदान करेगा, ताकि ये विश्व स्तर के संस्थान बन सकें।

मान्यवर, ये संस्थान सरकार की आरक्षण नीति को लागू करेंगे और सम्बन्धित हितधारकों के लाभ के लिए विशेष outreach गतिविधियाँ भी करेंगे। ये संस्थान नवीन प्रथाओं को अपना कर विश्व स्तरीय शिक्षा और अनुसंधान का अनुभव प्रदान करने में सक्षम होंगे।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। इससे पहले यह विषय कृषि की Standing Committee के समक्ष गया था। Standing Committee ने भी इसमें अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, संस्तुतियाँ की थीं। इसमें उनको भी समाहित करने का काम किया गया

है। Standing Committee की महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं कि "समिति सरकार से NIFTEM, Kundli द्वारा किए जा रहे उल्लंघन की सीमा का विश्लेषण करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने की सिफारिश करती है और अतिरिक्त शुल्क के बारे में अब तक छात्रों से लिए गए अतिरिक्त शुल्क की गणना करे। यह समिति भी चाहती है कि मंत्रालय मौजूदा सत्र से AICTE की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय शुल्क समिति के माध्यम से मौजूदा पाठ्यक्रमों पर शुल्क लागू करे।"

मान्यवर, ट्यूशन छूट शुल्क योजना के बारे में भी यह व्यवस्था की गई कि जो विद्यार्थी गरीब हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं, इन प्रशिक्षण संस्थानों में उनको शुल्क मुक्त करने की भी व्यवस्था होगी। अभी तक यह व्यवस्था नहीं थी और गरीब, होनहार बच्चे उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे। अब इस विधेयक के माध्यम से ऐसे बच्चों को 5 प्रतिशत तक शुल्क मुक्त होने की व्यवस्था की गई है, जिससे 5 प्रतिशत बच्चों को फीस माफी दी जा सकेगी। यह व्यवस्था भी इस अधिनियम में की गई है। मान्यवर, इसके साथ ही इसमें आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को छात्रवृत्ति और इसके साथ-साथ उनको आर्थिक सहायता देने की भी व्यवस्था की गई है।

मान्यवर, इसके साथ ही खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मानव शक्ति की आवश्यकता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक श्रम प्रधान क्षेत्र होने के नाते भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रोजगार का प्रमुख स्रोत बन सकता है। इस कानून के बाद निश्चित रूप से रोजगार के नए आयाम खुलेंगे और तमाम बेरोजगार नवयुवकों को इससे काम मिल सकेगा। NIFTEM की आत्मनिर्भरता और स्थिरता के सम्बन्ध में देश के औसत नागरिक के आय स्तर को देखते हुए यह मानना है कि औद्योगिक निर्माण में आत्मनिर्भरता के स्तर को प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा के लिए संस्थान को समर्थन जारी रखने की तत्काल आवश्यकता है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए मानव शक्ति की आवश्यकता है। मान्यवर, इस विधेयक के आने से निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आएगा, कृषि पर आधारित उद्योग लगेंगे, हमारे food processing के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में छोटी-छोटी इकाइयाँ लगेंगी और उनसे बड़े पैमाने पर हम अपने उत्पादों का निर्यात कर सकेंगे, जिससे देश की आमदनी बढ़ेगी और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इन सारे कार्यों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा और निश्चित रूप से इससे हमारे बहुत सारे बेरोजगार युवकों को काम मिलेगा और हमारे इन दोनों प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षण के क्षेत्र में विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त हो सकेगी, जहाँ हम food and technology के क्षेत्र में उस स्तर के विद्यार्थी और जिज्ञासु तैयार कर सकेंगे, जो दुनिया के किसी भी उच्च संस्थान में स्थान स्थापित कर सकते हैं, अपने लिए जगह बना सकते हैं और उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। इस तरह से माननीय मंत्री जी यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक लाए हैं। मैं समझता हूँ कि इससे एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और खास तौर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इससे एक बड़ी मजबूती मिलने वाली है। इस विधेयक में कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। मैं चाहूँगा कि इस विधेयक को सदन सर्वसम्मति से पारित करे, क्योंकि यह लोक महत्व का विधेयक है और बहुत दिनों से इस विधेयक की प्रतीक्षा थी। इस पर स्थायी समिति ने भी विस्तार से चर्चा कर ली, इस पर सदन में भी चर्चा हो चुकी है, इसलिए अब मैं इसमें बहुत कुछ चर्चा की आवश्यकता नहीं समझता हूँ और मैं चाहूँगा कि इसको सभी लोग सर्वसम्मति से पारित करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री जी को यह विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूँ और समय देने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): The next Speaker is Shri Bhaskar Rao Nekkanti; you have two minutes.

श्री भास्कर राव नेक्कान्ति (ओडिशा): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल पर बोलने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। इसमें मैं दो-तीन concerns के बारे में बताना चाहता हूँ। First, need to cap maximum fees charged. Fees में unaffordable levels पर ज्यादा चार्ज लिया जा रहा है। इसके बारे में स्टैंडिंग कमिटी ने रिकमंड भी किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, field level में लोगों को जैसी सुविधा हो सके, fees के ऊपर वैसी सुविधा दी जाए। इस पर ध्यान देने के लिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ।

Secondly, skill gaps in the industry. इस इंडस्ट्री में काम करने वाले skilled and trained persons available नहीं हैं। जितने लोगों की जरूरत है, उतने लोग नहीं हैं। जहां एक लाख लोगों की जरूरत होती है, उस जगह पर दस हजार लोगों की availability भी नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि skill development के ऊपर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, encouragement देना जरूरी है। अगर फील्ड में अच्छा skill develop होगा, तो जैसा अभी बताया गया, vegetables में केवल one per cent or 1.5 per cent का processing हो रहा है। इसको देश के अन्दर बढ़ावा देने की जरूरत है। Skill को बढ़ावा दिए बिना कोई स्कोप नहीं बन सकता है, इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि skill training के लिए, जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और इस बिल में भी उसी तरह का परिवर्तन लाएं।

Food Processing Sector के बारे में मैं अपने क्षेत्र का एक अनुभव आपको बताना चाहूंगा। वहां पर Mega Food Processing का जो पार्क बन रहा है, उसका काम चल रहा है, जिसको छः साल हो गए हैं। मेरे क्षेत्र में एक Mega Food Park है, लेकिन अभी तक उसमें संतोषजनक काम नहीं हो पा रहा है। उसमें क्या दिक्कत है, यह देखने के लिए आपके डिपार्टमेंट का interference जरूरी है। उस पार्क को मदद देने की जरूरत है, उसको viable करने की जरूरत है। हम यह नहीं कहते कि जिसका कसूर हो, उस पर पेनल्टी लगाएं, लेकिन आपकी तरफ से helping hand देकर उसको रास्ते पर लाना जरूरी है, तब जाकर कुछ काम हो सकता है। उसकी वजह से एक food processing unit - अगर mega food park default हो गया है, तो उस स्टेट में दूसरा mega food park देने का भी उसमें प्रावधान रखा गया है, लेकिन दूसरा पार्क नहीं मिलने के कारण हम लोग deprive हो रहे हैं। इसके ऊपर ध्यान देने के लिए भी मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा। Food Processing Industry में जो FDI के बारे में कहा गया है, उसमें भी....

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : भास्कर राव जी, अब आप समाप्त कीजिए, आपका तीन मिनट का समय पूरा हो गया है।

श्री भास्कर राव नेक्कांति : जी हां, एक मिनट। उसके ऊपर भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। It is less than 2 per cent of the total share in 2018-2019. अभी वहां क्या स्थिति है, यह आप देख लीजिए।

Need for Academia-Industry-Farmer Collaboration, ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स के साथ मिल कर काम हो सके, इसके लिए फार्मर्स के साथ food processing units का ज्यादा से ज्यादा link up हो। इसके ऊपर ध्यान देने के लिए भी मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा और आशा करूंगा कि कम से कम समय में वे इस पर जरूर ध्यान देंगे, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): The next Speaker is Shri Tiruchi Siva; you have two minutes.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, this legislation, namely, the National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management Bill, 2019, proposes to confer the status of national importance upon two institutes. One is the National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management in Haryana and the other one is the Indian Institute of Food Processing Technology in Thanjavur in Tamil Nadu. I want only two simple clarifications from the hon. Minister. Whenever any institute is elevated to the status of 'national importance' the question of reservation comes up. It has been in practice that the institutes of national importance do not follow the reservation policy which is hard-earned one. So, I think, if the Minister can waive the apprehension that the reservations will not be affected in any manner, then only, the attempt of making it an institute of national importance will be applicable. Also, in the Board of Governors, the Central Government has got a Member, ex-officio and two representatives having special knowledge in the field of food processing industry nominated by the Central Government and one more member also from the Central Government whereas there is only one representative from the State Government. So, I would urge that since the Institutes are in certain States, the number of State Governments' representatives should be more. Otherwise, we have an apprehension that every time the States' powers are slowly going down. So, they should have a say when an Institute is in a particular State, the number of representatives should be equal. When the Chairman is also from the Central Government and the Minister, and then all the nominees, all the members of the Board of Governors are mostly from the Central Government or from other Institutes,

the State Governments should also be given the due importance. My main issue is about the reservation policy to be followed up by the Institute. Thank you very much.

DR. BANDA PRAKASH (Telangana): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you very much for giving me the opportunity to speak on this Bill. Sir, we support the Bill. This Bill states that the two existing Institutions shall become the Institutes of National Importance. Consequently the nomenclature of both the existing Institutions will be individually called as National Institute of Food Technology and Entrepreneurship and Management. Sir, particularly the food processing industry is expecting to expand at the growth rate of 11.5 per cent in the coming days. India being the third largest producer of all the food items, there will be more demand for such courses in the country. Presently, as per the reports, 1,12,633 technical workmen requirement is there in the food sector. At the lower level also, only about 10,000 trained technical people are available whereas demand is for more than 1,00,000. If you take into consideration the unorganized sector, this will cross more than 5,00,000 people. Sir, in view of this, I request hon. Minister that like other Institutions of National Importance like IIMs and IITs, it should not just confine only to two Institutes. I request the hon. Minister to expand it for more Institutions in different parts of the country. I would like to submit to the hon. Minister that our Telangana Government is doing a good work in food processing industry, particularly in agriculture sector, fishery and veterinary sectors. They have brought a lot of reforms. Our production has also increased in a multilevel. Wherever there is a demand for such institutions, I request hon. Minister to expand these Institutions and give it to the new areas, new places of the country. I also totally endorse the opinion whatever the other Members of Parliament have expressed about the representation of Parliamentarians, two from Lok Sabha and one from Rajya Sabha, should be there on all the prime Institutions or Institutions of National Importance. Similarly, a provision should be made in this case also. The other point is about the reservation policy. It should be implemented and fee reimbursement or fee concession should be there for SC, ST and OBC and economically weaker students. Thank you, Sir.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI (Andhra Pradesh): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on National Institutes of Technology Entrepreneurship and Management Bill, 2019. This Bill confers the status of Institutions of National Importance to the National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management at Kundli, Haryana and the Indian Institute of Food Processing Technology at Thanjavur, Tamil Nadu. The object of the Bill, that is, to improve the

research at these two institutions and to take the challenges faced by the stakeholders in the food technology sector will definitely help the food processing sector of the country.

3.00 P.M.

Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on the National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management Bill, 2019. Sir, this bill confers the status of Institution of National Importance to the National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management (NIFTEM) at Kundli, Haryana, and the Indian Institute of Food Processing Technology (IIFPT) at Thanjavur, Tamil Nadu.

The objective of the Bill is to improve research at these two institutions and to tackle the challenges faced by the stakeholders in the food technology sector. It will definitely help the food processing sector of the country. And as food Processing is a labour-intensive industry, it will help in providing localized employment opportunities and thus will reduce the need of migration.

I would first like to highlight some of the problems faced by the food processing sector at present and how this Bill can address those issues. Firstly, India is the world's second largest producer of fruits & vegetables after China but hardly 2 per cent of the produce is processed. Secondly, in spite of a large production by our farmers, the level of processing is low. Approximately 2 per cent of fruits and vegetables, 8 per cent marine, 35 per cent milk and 6 per cent poultry are processed. Lack of adequate processable varieties continues to pose a significant challenge to this sector.

Now, through this legislation, better quality research would be done at the two institutions which will ultimately help in reducing wastages, increase value addition, ensure better prices for farmers while ensuring availability of affordable and quality produce to consumers.

The farming economy of the country cannot progress unless the food processing technology is advanced and provide better solutions by connecting to the farm fields and offering high quality processed food in the market. This can then be even exported to other countries.

I would like to congratulate these two institutions. They have done great work on food technology so far and have definitely earned the status of the Institutes of National Importance.

I would request the Central Government to establish an institution of national importance in Andhra Pradesh also. We have a talented pool of researchers and highly motivated students who are ready to shoulder responsibility of developing the food technology sector of the country. By extending this responsibility to more institutions, we can position India as the most preferred investment destination for the agri-business and food processing in future. With this, on behalf of our party, I support the Bill. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : थैंक यू। श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए। ...**(व्यवधान)**... आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2019 पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मान्यवर, इसमें दो संस्थान कुंडली में और तंजावुर में हैं, जो NIFTEM & IIFPT हैं, अब ये INI बन जायेंगे। यह शैक्षणिक संस्थान 2012 में चालू किया गया था, जो B.Tech, M.Tech, PHD. और MBA की डिग्री प्रदान करता था। इसमें संस्थानों के बारे में कुछ ऐसा रखा गया है कि विवादों का निपटारा ट्रिब्यूनल ही करेगा, सिविल न्यायालय से बाहर रहेगा। जिस तरह से किसानों के लिए बिल पास हुए, उसमें कह दिया गया कि सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, उसी तरह से इसमें किया गया है, तो इसमें कहीं आगे फिर संशोधन की जरूरत पड़ेगी। शिक्षण शुल्क में माफी योजना में भी जो EWS की आय सीमा 8 लाख रखी गयी है, अब इसमें कह रहे हैं कि 6 लाख वाले लोगों का माफ होगा, तो इसमें विसंगतियाँ होंगी, इस तरह की तमाम बातें आयेंगी। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में खाद्यान्न तो पैदा हो रहा है, बरबाद भी बहुत हो रहा है, तो इस संस्थान के बन जाने से देश को बहुत बड़ा लाभ होगा। हम चाहते हैं कि अभी तक देश में जितनी भी एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटीज़ चल रही थीं - जो काम कर रही थीं, लेकिन संतोषजनक नहीं थीं, इसलिए ऐसे और भी संस्थान देश में बनें तथा हम अपने यहाँ विदेशों से वैज्ञानिक बुलायें और उनसे अपने संस्थान को और आगे प्रोग्रेस कराने का काम करें, जिससे हमारा देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन सके तथा हमारे देश के बच्चे पूरे वर्ल्ड के स्तर पर वैज्ञानिक बन कर देश का नाम रौशन करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (बिहार): वाइस-चेयरमैन महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। इसमें मेरे दो-तीन सुझाव हैं। यह Institute of Food Technology से संबंधित है और फूड का रिश्ता सीधे किसान से है। उसमें एक सबसे बड़ा stakeholder किसान है, लेकिन इसके Board of Governors में या काउंसिल में किसानों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध होगा कि उसमें किसान का भी प्रतिनिधित्व हो।

दूसरी बात यह है कि CSIR के अंतर्गत एक Central Food Technological Research Institute मैसूर में है। वह भी पूरा का पूरा फूड टेक्नोलॉजी पर काम करता है। आपने जो काउंसिल की व्यवस्था की है, उसमें जितने भी institutes हैं, उन सबको standardize करने के लिए आप मॉनीटर करेंगे, इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि जो हमारा CFTRI, Mysore है, अगर आप काउंसिल में इसको भी सम्मिलित कर लेंगे, तो आप जो इन दोनों institutes को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दे रहे हैं, उसमें इनका भी पूरा योगदान मिलेगा।

अंत में, मैं यह अनुरोध करूँगा कि हमारा यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल का जो क्षेत्र है, वहाँ सब जगह फल, सब्जी आदि की बहुत संभावना है, इसलिए उस इलाके में भी इस तरह के institute खोले जाएँ, जिससे वहाँ पर इसका लाभ मिल सके, बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : धन्यवाद, राम चन्द्र प्रसाद सिंह जी। श्री बिकास रंजन। Not present. प्रो. मनोज कुमार झा। आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

प्रो. मनोज कुमार झा: उपसभाध्यक्ष महोदय, कम में रहने की आदत सी हो गई है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : आप कम समय में अच्छा बोल लेते हैं।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): माननीय मंत्री जी, आजकल आपके ऊपर बहुत सारे और दबाव हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि Thanjavur और Kundli से मेरा विरोध नहीं है, लेकिन बिहार को लेकर हूक उठती है। बिहार पर नज़र नहीं होती है, बिहार नज़र से बाहर होता है। आपसे एक आग्रह करूँगा, हाथ जोड़ कर विनती करूँगा कि 2024 से पहले यानी अगले चुनाव से पहले उस इलाके में इस तरह का एक institute खोल दीजिए, क्योंकि वहाँ मक्का है, मखाना है - जब लोग दिल्ली में मखाना खरीदते हैं, तब उसके बारे में पता कीजिए - अगर आप उसकी best technology वहाँ लाएँगे, एक institute होगा, तो मैं समझता हूँ कि इससे आपका नाम भी होगा। आपके नाम का जो पहला अक्षर है, वह और भी महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा होगा, तो इससे फायदा होगा।

दूसरा, फूड प्रोसेसिंग अभी भी हमारे यहाँ abysmally low stage पर है, उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, इसको देखें। तीसरी चीज़, जो मेरे से पूर्व के वक्ता ने भी कही, मैंने भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स देखा, सीनेट तो खैर academic है और काउंसिल देखी - बेचारा किसान यहाँ नहीं

है। जो फल उपजा रहा है, जो अन्न उपजा रहा है, वही इससे बाहर है। यह रवायत अच्छी नहीं है, इससे अच्छा संदेश नहीं जाता है। वैसे भी किसानों के बारे में इन दिनों संदेश अच्छा नहीं जा रहा है। Fee waiver को लेकर मेरी भी अपनी चिंताएँ हैं।

सर, आखिरी चीज़ जो मैं टिप्पणी करना चाहूँगा, वह यह है कि जब आप किसी को राष्ट्रीय कहते हैं -- सर, आप ऐसे देख रहे हैं, लग रहा है कि आप बैठने के लिए कह रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : नहीं, नहीं, अभी आपके पास एक मिनट का टाइम है।

प्रो. मनोज कुमार झा : जब आप राष्ट्रीय कहते हैं, तो राष्ट्र की धाराएँ उसमें represent हों, चाहे कोई भी आरक्षण की व्यवस्था है, वह होना चाहिए। यह नहीं कि यह national eminence की चीज़ है, तो इसको संविधान के दायरे से अलग कर दिया जाए।

सर, मैं एक आखिरी टिप्पणी करूँगा, जो आपकी नज़र में लाना जरूरी है कि Financial Memorandum of the Bill Provides that declaring both the existing Institutes as Institutions of National Importance would not involve any additional financial implications; whereas clause 33 (1) enumerates moneys provided by the Central Government as one source of fund. मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए और इसी बहाने किसान को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में लाइए, क्योंकि वही गवर्न करता है। बहुत-बहुत शुक्रिया, जय हिन्द!

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Thank you Sir, for giving me this opportunity. The main objective of the Bill is to give national importance to the two institutions. My grievance is with regard to the Board of Governors, which manages the entire institute. My main grievance is that the farmer should be included in the Board of Governors. Likewise, as per the recommendations of the Standing Committee, Members of Parliament also should be included. Andhra Pradesh is also one of the largest States contributing to the food production of the country. There is a need to establish a branch of this institute in Andhra Pradesh.

Sir, adulteration of food items is a major issue. For this purpose, skill development has to be taken care of by these two institutes in order to prevent food adulteration, suggest modalities and implement a mechanism to be created for this purpose. There has to be a mechanism, though institutes are not directly related to prevention. So, skill development has to be taken care of by this legislation.

And, while framing rules, sufficient focus should be given on storage capacity of foodgrains and adulteration. There is no sufficient representation of States in the Board of Governors. So, States should be given proper representation in the Board of Governors. Thank you.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, when it comes to creation of Institutes of National Importance we are on the side of the Government. Raising quality of education ought to be a priority and passion for every good Government. I must applaud here, on record, the recently presented Budget of the Delhi Government. It has earmarked 24 per cent of its overall Budget for education. The vision here is commendable and needs to be replicated as much as possible. I would like to make a quote here.

*"मंज़िल से आगे बढ़कर मंज़िल तलाश कर,
मिल जाए तुझको दरया तो समन्दर तलाश कर,
हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से,
पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर।"*

Mr. Vice-Chairman, Sir, food technology and agriculture education are branches as a whole, not just limited to these institutes, should be receiving a special patronage of the Government if Bharat really intends to move towards Atmanirbharta. Value addition to agriculture produce and curtailment of immense amount of losses that incur due to storage, transportation and other things can become a true antidote to the ailments of agriculture sector and the farmer as a whole. So, this sector needs a lot of attention. If farmer is simultaneously trained effectively to become an entrepreneur, India can march-forward with her head held high. What is needed is increased investment — again I am saying — as a whole in rural infrastructure, agriculture research, development and transfer of technology to farmers not only to boost production but also to add additional value to agriculture produce. Sir, Atmanirbhar Bharat initiative must include strengthening of all such institutes of crucial importance that are functioning in the nation. I also take this opportunity to urge the Government to pay attention and strengthen the KVKs which are centres of information for farmers. While I wind up, I will just make a small quote:

*"Farming looks mighty easy when your plough is a pencil and
you are a thousand miles from corn field."*

At the end, like everybody else, I would only like to emphasize that when you wanted to do something for farmers, please seek their approval and you understand what they want and this applies to the protest of farmers that is going on too. Thank you.

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। आप एक इंस्टीट्यूशन को हरियाणा में और एक इंस्टीट्यूशन को तमिलनाडु में इम्पॉर्टेंस देना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश के किसानों की हालत सुधारनी है, तो ऐसे संस्थान देश के हर राज्य में बनने चाहिए।

सर, मैं हरियाणा के विषय में कहना चाहता हूँ। पिछले लंबे समय से किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। असंख्य किसानों ने शहादतें दी हैं। माननीय मंत्री जी पहले तो बात करते थे, लेकिन आजकल पता नहीं है, बात भी करनी छोड़ दी है। महोदय, पिछले छः साल में हरियाणा में किसानों की एक भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं लगी है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर इस देश के किसानों की हालत को सुधारना है, तो जो institutions हैं, वे तो बनने ही चाहिए, परंतु agro-based industries भी लगनी चाहिए। आज किसान को अगर उसकी उपज की असली कीमत मिलनी है, तो जब तक agro-based industries इस देश के अंदर दिन दोगुनी रात चौगुनी नहीं बढ़ेंगी, तब तक किसान की हालत सुधर नहीं सकती।

सर, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि आप ये institutions लगाएँ, परंतु आप यह भी सोचें कि इन institutions के अंदर किसानों के पढ़ने वाले बच्चे अगर आज के किसान के हालात देखेंगे, तो क्या वे खेती के अंदर जाना चाहेंगे? आज किसानों को इस प्रकार से कुदरत के रहमो-करम पर छोड़ दिया गया है कि आप बॉर्डर के ऊपर बैठे रहो, हम तो आपकी तरफ देखते ही नहीं, आपकी बात ही नहीं करना चाहते! ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : अब आप समाप्त कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुशील कुमार गुप्ता : ऐसे हालात के अंदर इस देश में ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : समाप्त कीजिए, प्लीज़। श्री रामजी, बोलिए।

श्री सुशील कुमार गुप्ता : सर, मैं बस एक मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करना चाह रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : आपका समय समाप्त हो गया। श्री रामजी, बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुशील कुमार गुप्ता : मैं कहना चाहता हूँ कि आप पुण्य के भागी बनेंगे, अगर आप उन किसानों की बात मान कर उन तीनों कानूनों को वापस ले लेंगे, धन्यवाद। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामजी (उत्तर प्रदेश): महोदय, आपको धन्यवाद देने के साथ-साथ मैं अपनी पार्टी की मुखिया, बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस बिल पर बोलने के लिए मुझे अधिकृत किया।

श्रीमान् जी, The National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management Bill, 2019 एक स्वागत-योग्य कदम है और इसके बाद कम से कम फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी-बड़ी रिसर्चें होंगी और एजुकेशन दी जाएगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से देश के अंदर आईआईटी और आईआईएम हैं, जिनमें reservation का system follow होता है, उसी तरह इन institutes के अंदर भी reservation का system follow होना चाहिए।

श्रीमान् जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह भी कहना है कि कम से कम इस देश के अंदर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के बच्चों को भी आपके institutes में free education मिलनी चाहिए, उन्हें किसी तरह की फीस न भरनी पड़े। मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ। जब बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री थीं, तब वर्ष 2003 में वहाँ पर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के बच्चों के लिए सभी तरह की पढ़ाई फ्री थी। मतलब, जो ज़ीरो लेवल से लेकर हायर लेवल तक की एजुकेशन थी, वह टोटली फ्री थी। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि वह इसी तरह के एजुकेशन सिस्टम का प्रावधान करे, ताकि जो बैकवर्ड, दलित और आदिवासी समाज के बच्चे हैं, वे भी हायर एजुकेशन में पढ़ाई कर सकें। ऐसा न हो कि एडमिशन के समय आप उनसे फीस माँग लें और बाद में कह दें कि आपको जो फीस जमा करनी है, वह आपके स्टेट की गवर्नमेंट फॉलो करेगी, तो इस तरह का सिस्टम नहीं होना चाहिए। At the time of admission, उनकी zero fee पर admission होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सरकार इसको फॉलो करे, धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : अब, कृषि मंत्री जी।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, NIFTEM Bill फरवरी, 2019 में राज्य सभा में आया था, जिसके बाद वह स्थायी समिति में गया। स्थायी समिति में इसमें कुछ संशोधन हुए, उन संशोधनों को मंत्रिपरिषद् ने स्वीकार किया और अब यह फिर से राज्य सभा के समक्ष विमर्श के लिए आया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अनेक विद्वान सदस्यों ने इस बिल पर अपने विचार व्यक्त किए और सबने अपने-अपने सुझाव देने के साथ इस बिल के प्रति निश्चित रूप से संतोष व्यक्त किया। इसके लिए मैं सभी महानुभावों का हृदय से बहुत आभार प्रकट करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ।

सर, NIFTEM और IIFPT, ये दोनों संस्थान पहले से स्थित हैं और food processing के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन आज की परिस्थिति में हम सब इस बात को भली-भांति जानते हैं कि हमारे देश की किसान हितैषी नीतियाँ, किसानों का परिश्रम, उनकी जागरूकता, उन सबके परिणामस्वरूप, चाहे खाद्यान्न का विषय हो, चाहे बागबानी का विषय हो, चाहे कृषि से संबंधित अन्य जो उत्पाद हैं, उनका विषय हो, सबमें हमारा देश तेजी के साथ अग्रणी होता जा रहा है। अगर हम पूरे विश्व में तुलना करें, तो कहीं हम उत्पादन के क्षेत्र में क्रमांक एक पर हैं और कहीं हम क्रमांक दो पर हैं। जहाँ हम क्रमांक दो पर हैं, वहाँ हमारे लोगों की लगातार कोशिश है कि हम क्रमांक एक पर आएं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से हम सबके सामने प्रमुख रूप से एक विषय है कि हमारी नीतियाँ उत्पादन केंद्रित रहें, उत्पादन के क्षेत्र में हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ें और आज निरंतर इस दिशा में हमारे किसान प्रगति कर रहे हैं। लेकिन फसल के उपरान्त जो फसल का प्रबंधन होना चाहिए, यह आज भी हमारे सामने संकट का विषय बना हुआ है, चाहे भण्डारण का विषय हो, चाहे कोल्ड चेन का विषय हो, चाहे प्रोसेसिंग का विषय हो। इन सब क्षेत्रों में हम प्रति वर्ष चर्चा करते हैं, सरकारी उपार्जन भी होता है, बाकी सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बरबादी हो रही है, उस बरबादी के कारण पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, किसान का भी नुकसान हो रहा है। इस दिशा में निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए काम करना काफी आवश्यक है।

जब हम फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो आज यह एक ऐसा क्षेत्र है, जो कृषि के क्षेत्र में स्थित अनेक समस्याओं को समाधान दे सकता है, खाद्य पदार्थों की बरबादी को रोक सकता है, रोजगार के अवसर सृजित कर सकता है और हमारे उत्पादों को विश्व में एक बड़ा स्थान दिला सकता है। इस दृष्टि से भारत सरकार ने फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री को अलग से बनाया है और उस मिनिस्ट्री के माध्यम से अनेक योजनाओं का सृजन किया। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की एक umbrella scheme है, वह स्कीम 'प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना' है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक जो काम हुआ है, उसमें 106 लाख टन फूड को संरक्षण और प्रोसेसिंग के अंतर्गत लाया गया है। इसी क्षेत्र में अगर हम देखें तो इस योजना के अंतर्गत 444 लाख रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं और 147 लाख किसान इससे निश्चित रूप से लाभान्वित हुए हैं। अभी पिछले दिनों आप सब लोगों के ध्यान में आया होगा, जब 'आत्मनिर्भर पैकेज' की चर्चा हुई, एक लाख करोड़ रुपये का infrastructure fund एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया गया और fisheries, animal husbandry तथा उसके साथ-साथ 10 हजार करोड़ रुपये फूड प्रोसेसिंग के लिए भी दिये गये। जो छोटी यूनिट्स हैं, उनको सरकार की मदद मिले और वे छोटी यूनिट्स एक जिला, एक उत्पाद के तहत कुछ उत्पादों के लिए काम करें, जिससे कि हमारी छोटी industries मज़बूती के साथ खड़ी हों और स्कीम के माध्यम से 10 हजार करोड़ रुपये इन लोगों तक पहुंचें; इस दिशा में काफी अच्छे से काम करने की कोशिश की जा रही है। हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत कृषि के क्षेत्र में और कृषि के उत्पादन के क्षेत्र में एक तौर से महारथ हासिल किए हुए है और किसानों के परिश्रम के परिणामस्वरूप यह महारथ आने वाले कल में और बढ़ती ही जानी है। इसलिए जब इन फसलों के प्रबंधन की बात आएगी तो हमको निश्चित रूप से

प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा। बाकी जो infrastructure है, वह एक लाख करोड़ रुपये के infrastructure fund के माध्यम से हो रहा है, कृषि विभाग की अनेक स्कीम्स के माध्यम से हो रहा है, लेकिन जब प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमको एक दीक्षित मैनपावर की आवश्यकता होगी और यह मैनपावर खड़ी होगी और ऐसे संस्थान, जो सभी प्रकार से सक्षम हों और वे देश ही नहीं, बल्कि दुनिया में भी प्रतिष्ठित संस्थानों के रूप में जाने जाएं, उनकी अपनी क्षमता हो, उनकी अपनी स्थिति हो, उनको अपनी स्वतंत्रता हो, वे स्वयं अपने निर्णय ले सकें, स्वयं अपने कोर्सेज चला सकें, स्वयं अनेक यूनिवर्सिटीज से, विद्वानों से, इंडस्ट्रीज से, विदेश से व्यवहार कर सकें। इसके लिए निश्चित रूप से यह स्वतंत्रता की आवश्यकता हमारे दोनों संस्थानों को कई दिनों से महसूस हो रही थी। जब पिछली बार भी यह बिल आया था, तब भी सभी लोगों ने इस पर अपने अच्छे विचार प्रकट किए थे। इसमें स्टैंडिंग कमेटी ने भी संशोधन किए, हम लोगों ने उन संशोधनों को स्वीकार भी किया है और मुझे लगता है कि अभी कुल मिलाकर ये दोनों संस्थान 400 के आसपास manpower को जोड़ते हैं। जब इनको अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिल जाएगा, तो ये हमारे IIT और IIM के बराबर हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से शिक्षा से जुड़े हुए लोग, technology से जुड़े हुए लोग और जो छात्र इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, वे सब इस ओर आकर्षित होंगे। उनके भविष्य की दृष्टि से भी यह ठीक होगा और जब technology से लैस हमारी manpower खड़ी होगी, निश्चित रूप से processing बढ़ेगी। जब processing बढ़ेगी तो अंततोगत्वा किसान को फायदा होगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और हम अपने निर्यात को भी बढ़ाने में सफल होंगे। मैं समझता हूँ कि इस दिशा में यह बिल सरकार अच्छी भावना से लेकर आई है। सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। मैं बहुत अधिक न बोलते हुए, आप सभी लोगों से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस बिल की मंशा को समझते हुए सभी लोग इसका समर्थन करें। एक-दो मेम्बर्स ने अपनी व्यक्तिगत बात कही है, जैसे प्रो. मनोज कुमार झा ने बिहार की बात कही है, भास्कर जी ने अपने क्षेत्र की बात कही है, यदि वे मुझे बताएं तो निश्चित रूप से जो मैं ध्यान दे सकता हूँ, मैं अवश्य दूंगा। एक बात हमारे सदस्य शिवा जी ने उठाई थी कि यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बन जाएगा तो आरक्षण का क्या होगा? मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनेगा, तो राष्ट्रीय महत्व के जितने कानून हैं, शायद सभी इस पर लागू होंगे। इसमें आरक्षण रहेगा, इसलिए बेफिक्र रहना चाहिए। एक बात यह भी आई है कि किसानों को इसमें रहना चाहिए, तो मैं विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहता हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी में भी यह विषय आया होगा, चूंकि यह विषय food processing से जोड़ा हुआ है, इसलिए processing से संबंधित जितने अनुभवशील लोग हैं, वे इसके सीनेट में, परिषद् में हैं और संसद का प्रतिनिधित्व भी परिषद् में रहेगा, इस बात का प्रावधान इस बिल में है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Now, the question is:

"That the Bill to declare certain institutions of Food Technology, Entrepreneurship and Management to be the institutions of national importance and to provide for instructions and research in food technology, entrepreneurship and management and for the advancement of learning and dissemination of

knowledge in such branches and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 10 were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): In Clause 11, there is one Amendment (No. 3) by the hon. Minister.

CLAUSE 11 - BOARD OF GOVERNORS

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

- (3) कि पृष्ठ 6, पंक्ति 5 में, "या लोक प्रशासन" शब्दों को **हटा** दिया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

Clause 11, as amended, was added to the Bill.

Clauses 12 to 27 were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): In Clause 28, there is one Amendment (No. 4) by the hon. Minister.

CLAUSE 28 -- ESTABLISHMENT OF COUNCIL

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

- (4) कि पृष्ठ 13, पंक्ति 20 **के पश्चात्**, निम्नलिखित को **अंतःस्थापित** किया जाए अर्थात्:-

"(जक) संसद के तीन सदस्यों, जिनमें से दो सदस्यों को लोक सभा के सदस्यों द्वारा तथा एक सदस्य को राज्य सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा;

परंतु यह कि परिषद के सदस्य का पद ग्रहण करने से इसका धारक संसद की दोनों में से किसी भी सभा का सदस्य चुने जाने से या सदस्य होने से निरर्हित नहीं हो जाएगा;"

The question was put and the motion was adopted.

Clause 28, as amended, was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): In Clause 29, there is one Amendment (No. 5) by the hon. Minister.

CLAUSE 29 - TERM OF OFFICE OF, VACANCIES AMONG, AND ALLOWANCES PAYABLE TO MEMBERS OF COUNCIL

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

5. कि पृष्ठ 13, पंक्ति 28 के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाए अर्थात्:-

"परंतु यह कि धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (जक) में उल्लेख किए गए सदस्य की पदावधि सदस्य के मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री या लोक सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या राज्य सभा के उपसभापति बनते ही या जिस सभा से वह चुना गया था उसमें उसकी सदस्यता समाप्त होते ही समाप्त हो जाएगी।"

The question was put and the motion was adopted.

Clause 29, as amended, was added to the Bill.

Clauses 30 to 41 and the Schedule were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): In Clause 1, there is one Amendment (No. 2) by the hon. Minister.

CLAUSE 1 - SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 6 में, "2019" अंक के स्थान पर "2021" अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

ENACTING FORMULA

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): In the Enacting Formula, there is one Amendment (No. 1) by the hon. Minister.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, "सत्तरवें" शब्द के स्थान पर "बहत्तरवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक यथासंशोधित रूप में पारित किया जाए।"

The question was put and the motion was adopted.

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का व्यवहार अगर तीनों कानूनों के संबंध में लागू होता...(व्यवधान)...
